न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

(5)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील/05/2021 दायर दिनांक: 01.04.2021

उनवान

1. बनेसिंह पि. उदयसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा

अपीलांट

बनाम

1. श्यामसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा
2. मोहनसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा
3. कालूसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा
4. हरीसिंह पि. अमरसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा
5. तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

रेस्पोडेन्टस

अपील इन्तकाल सं. 536 ग्राम छोडी

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील अपीलांटस :— श्री अशोक पाटीदार
रेस्पोडेन्टस :— एकतरफा

आदेश दिनांक : 16.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम छोड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. की जमाबन्दी संख्या 110 नयी पुरानी 116 सम्वत 2061 से 2064 में खसरा नम्बर 316 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा आराजी स्थित थी। जिसमें अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का संयुक्त रूप से अन्य सहखातदारों के साथ 5/24 हिस्सा था नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट 4 हरिसिंह द्वारा खसरा नम्बर 324 व 325 के अपने हिस्से का [illegible] ने सहखातेदारो श्यामसिंह, मोहनसिंह, कालूसिंह पिता माधोसिंह के पक्ष [illegible] दिया जिसका हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2009 का उप पंजीयक [illegible] रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 14:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[redacted]री
पिड़ावा, जिला झाला[redacted] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

करवाया था। हकत्याग पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है। यह कि इस हकत्याग पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 324 व 325 में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 हरिसिंह के हिस्से 5/24 पर रेस्पोडेन्टस् 1 लगायत 3 का नाम दर्ज होना था परन्तु इस हकत्याग पत्र के आधार पर खोले गये इन्तकाल नम्बर 536 ग्राम छोड़ी तहसील पिड़ावा में जमाबन्दी संख्या 110 सम्वत् 2061–64 के अपीलान्ट के सम्पूर्ण हिस्से को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के खाते में दर्ज कर दिया है जो गलत दर्ज किया है। जबकि केवल खसरा नम्बर 324 व 325 के अपीलान्ट के सम्पूर्ण हिस्से को रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज करना था इसलिए इन्तकाल खारिज होने योग्य है। यह कि अपील अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। यह कि आराजी ग्राम छोड़ी तहसील पिड़ावा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रस्तुत है। अतः श्रीमान की सेवा में अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 536 ग्राम छोड़ी तहसील पिड़ावा को खारिज फरमाने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 4 की ओर से एडवाकेट श्री रामनाथसिंह उपस्थित परन्तु मुताबिक आदेशिका दिनांक 07.11.2024 को नो इन्ट्रेस्ट किये गया। अतः रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

3. अपीलांट की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम छोडी के खाता स. 26 व 173 की हाल जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, खसरा गिरदावरी नकल, नामा.सं. 536 दिनांक 15.01.2009 की सत्यप्रति, ग्राम छोडी के खाता स. 110 की जमाबंदी सं. 2061–64 की नकल, ग्राम छोडी के खाता स. 112 की जमाबंदी सं. 2065–68 की नकल, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.01. 2009 की प्रमाणित प्रति पेश की।

4. अभिभाषक अपीलांट की [illegible] अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील [illegible] कथन किया कि ग्राम छोडी तहसील पि[illegible] खाता सं. 110 ख.नं. 316, 324, 325 व 372 कुल किता 4 कुल [illegible] 11–03 बीघा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]कारी
पिड़ावा, जिला झाला[illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट– बनेसिंह व नरसिंह एवं रेस्पोडेटस सं. 4 हरीसिंह का संयुक्त हिस्सा 5/24 दर्ज रिकार्ड था। अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2009 वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. 324 रकबा 5–16 बीघा व ख.नं. 325 रकबा 4–01 बीघा में अपने सम्पूर्ण हिस्से 5/24 का अपने चचरे भाई व सहखातेदार श्यामसिंह, मोहनसिंह, कालूसिंह पिस. माधोसिंह के पक्ष में हकत्याग किया था लेकिन राजस्व विभाग के कार्मिको द्वारा उक्त हकत्याग का नामा सं. 536 दिनांक 15.01.2009 दर्ज करते समय अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सं 4 के सभी खसरा नं. 316, 324, 325 व 372 में दर्ज 5/24 हिस्से का रेस्पोडेटस सं. 1 से 3 के पक्ष में खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि केवल ख.नं. 324 व 325 मे दर्ज हिस्से का ही हकत्याग किया गया था। राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी प्राधिकार या कोर्ट आदेश के अपीलांटस व रेस्पोडैन्ट सं. 4 के ख.न. 316 व 372 में दर्ज हिस्से का विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम छोडी का नामा सं. 536 खारीज फरमाया जाकर पुनः हकत्याग पत्र के अनुसार दर्ज करने का आदेश फरमाये जावे।

5. अभिभाषक अपीलांट की बहस अपील के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम छोडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2061–64 व 2065–68 के अनुसार खाता सं. 110 ख.नं. 316, 324, 325 व 372 किता 4 रकबा 11–03 बीघा अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस सं. 4 का कितना हिस्सा था – यह स्पष्ट नहीं है। अपीलांटस द्वारा पेश रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस बनेसिंह व नरसिंह एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 हरीसिंह ने ग्राम छोडी तहसील पिडावा की कृषि आराजी खाता सं. 110 के ख.नं. 324 रकबा 5–16 बीघा व ख.नं. 325 रकबा 4–01 बीघा किता 2 रकबा 9–1[illegible] हिस्से 5/24 का हकत्याग उनके चाचा ताउ के पु[illegible] से [illegible] के पक्ष में किया गया था अर्थात अपीलांटस द्वारा [illegible] आराजी में [illegible] केवल ख.नं. 324 व 325 में अपने दर्ज हिस्से का ही हकत्याग किया, न [illegible]ख.नं. 316 व 372 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

दर्ज हिस्से का। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम छोडी के नामा.सं. 536 दिनांक 15.01.2009 की नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 16 में हल्का पटवारी द्वारा अंकन किया है कि "खातेदारान बनेसिंह, नरसिंह पिस. उदयसिंह, हरीसिंह पि. अमरसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 5/24 को अपने भाई (ताउ के लडके) श्यामसिंह, मोहनसिंह व कालूसिंह पिस. माधोसिंह को रिलीज कर दिया है। अतः नामा.दर्ज कर सेवा में पेश है"। पटवारी हल्का द्वारा कालम सं. 16 में यह अंकन नहीं किया गया कि अपीलांटस द्वारा रिलीज केवल ख.नं. 324 व 325 मे दर्ज हिस्सा 5/24 की है। पटवारी हल्का की रिपोर्टिंग से सम्पूर्ण भूमि ख.नं. 316 , 324, 325 व 372 में से अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस 4 का हिस्सा रिलीज होना जाहिर होता है जो कि विधि विरूद्ध अंकन है। भू. अभिलेख निरीक्षक ने पटवारी रिपोर्ट की दिनांक 13.01.2009 को जांच कर अंकन किया है कि " अंकन जमाबंदी व हकत्याग सही है"। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच भी गलत है जिसे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.01.2009 को स्वीकार कर नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 व 14 के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण खाता सं. 110 किता 4 कुल रकबा 11-03 बीघा से सहखातेदारन- अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सं. 4 का नाम हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2009 के आधार पर हटा दिया गया जबकि केवल ख.नं. 324 व 325 में से कुल हिस्से 5/24 का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पक्ष में हकत्याग हुआ था। खाता सं. 110 के ख.नं. 316 व 372 में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सं. 4 का हिस्सा यथावत रहना था। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम छोडी की जमाबंदी सं. 2065-68 पर अंकित नामा.सं. 536 के नोट में भी ख्रा.नं. 324 व 325 का अंकन नहीं करके सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग करना अंकित किया है जो कि गलत एवं अवैध है।

6. नामा.सं. 536 दिनांक 15.01.2009 के अवलो.कन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया था न कि ग्राम पंचायत डोला द्वारा तस्दीक किया गया। नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा निर्णित किये गये नामान्तरण आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर में की जा सकती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा निर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झाला[illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरण आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा निर्णित नामान्तरण आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है। इस संबंध में राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

75. First Appeals – (1) Save when otherwise provided in this Act, a first appeal shall lie –

[(a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar in matters not connected with settlement or land records,

(b) to the revenue appellate authority from an original order passed by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer or a Collector in maters not connected with settlement,

(c) to the Settlement Officer from an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(d) to the Land Records Officer an original order passed by a revenue court or officer subordinate to him.

(e) to the Settlement Commissioner from an original order passed by a Settlement Officer or by a Collector in matters connected with Settlement

(f) to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records, and

(g) to the Board from an original order passed by the Commissioner or Additional Commissioner, the revenue appellate authority.

7. उपरोक्त विवेचन व विश्ले[illegible] के आधार पर ग्राम छोडी के पुराना खाता स. 110 हाल खाता सं. 173 के संबंध [illegible]ायब [illegible]हसीलदार द्वारा निर्णित किये गये नामा.सं. 536 दि[illegible] 1[illegible].01.2009 की [illegible]ल क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज किये जाने [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम छोडी के नामा.सं. 536 के विरूद्ध अपीलांटस की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 क्षेत्राधिकार से वर्जित होने से खारीज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:22:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner